न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/137/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/435

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री सुलतानसिंह यादव, ग्राम व पोस्ट–कारोड़ा, तह0 बहरोड, जिला–अलवर (राज.)–301020		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), अलवर

प्रवेश तिथि :: 07.10.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 01.11.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 04.07.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर पूर्व शिकायत प्रा0पत्र दिनांकः 03.06.22 के संबंध में की गई कार्यवाही एवं सूचना संबंधी प्रकरण के PLPC के समक्ष रखे जाने संबंधी कुल 02 बिन्दुओं पर सूचना/अभिलेखीय प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. अपीलार्थी के आक्षेप/कथनानुसार प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने अथवा किसी प्रकार के विनिश्चय से अवगत नहीं कराये जाने के कारण पत्र दिनांकः 14.09.22 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया। प्रत्यर्थी की ओर से पत्र सं. 2424 दिनांकः 18.10.22 के माध्यम से जवाब प्रस्तुत करते हुए (मय संलग्नक) प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है।
6. अपीलार्थी के **सूचना आवेदन दिनांकः 04.07.2022**, प्रथम अपील दिनांकः 14.09.2022 एवं प्रत्यर्थी की ओर से प्राप्त जवाब नोटिस का परीक्षण किया गया।
7. प्रत्यर्थी द्वारा सूचना आवेदन के बिन्दु सं. 01 के संबंध में सूचना की विषयवस्तु तहसीलदार बहरोड से संबंधित होने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 6(3) के तहत उन्हें अन्तरित किया जा चुका है, शेष बिन्दु सं.02 के संबंध में इस लोक प्राधिकरण अंतर्गत संबंधित अनुभाग से सूचना प्राप्त कर पत्र सं. 1849 दिनांकः 29.07.22 के माध्यम से अधिनियम की धारा 7(1) में विनिर्दिष्ट समयावधि में ही विनिश्चय कर अपीलार्थी को प्रश्नगत सूचना प्रेषित की जा चुकी है।
8. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा, अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रेषित कर दिए जाने के कारण बिन्दु सं.02 के क्रम में **अपील खारिज की जाकर निस्तारित** की जाती है। साथ ही सूचना आवेदन के बिन्दु सं.01 के संबंध में अपीलार्थी प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही कें संबंध में तहसीलदार, बहरोड के स्तर पर संपर्क स्थापित कर सूचना प्राप्त कर सकता है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांकः 01.11.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)